UPBJ010035232014

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नम्बर–03, बिजनौर।

पीठासीन अधिकारीः– हनी गोयल, उच्चतर न्यायिक सेवा – UP02408

सत्रवाद संख्याः– 40004/2014

उत्तर प्रदेश सरकार ....**अभियोजन**

बनाम

1– मौ0 अली पुत्र मल्लू हुसैन निवासी ग्राम गदीपुरा थाना कुन्दरकी जिला मुरादाबाद।

2– शौकीन पुत्र ईदुल निवासी ग्राम तालसपुर थाना देहली गेट जिला अलीगढ।

.........**अभियुक्तगण**

मुकदमा अपराध संख्याः–257/2013

धाराः– **395, 397, 412 भा0दं0सं0**

थानाः– चांदपुर, जिला बिजनौर।

UPBJ010031292014

सत्रवाद संख्याः– 445/2014

उत्तर प्रदेश सरकार ....**अभियोजन**

बनाम

1– नफीस अहमद पुत्र रईस अहमद निवासी बडी मस्जिद ऊंचा टीला थाना मंझौला मुरादाबाद, जिला मुरादाबाद। ....**अभियुक्त**

मुकदमा अपराध संख्याः–257/2013

धाराः– **395, 397 भा0दं0सं0**

थानाः– चांदपुर, जिला बिजनौर।

UPBJ010022962014

Digitally signed by HONEY GOEL
Date: 2023.10.31 15:56:01 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

<u>सत्र परीक्षण संख्याः 06 सन् 2014</u>

उत्तर प्रदेश सरकार ....**अभियोजन**

बनाम

1– शौकीन पुत्र ईदुल निवासी ग्राम तालसपुर थाना देहली गेट जिला अलीगढ।

..........**अभियुक्त**

अपराध संख्याः– 263/2013

धाराः– **4/25 आयुद्ध अधिनियनम**

थानाः– चांदपुर, जिला बिजनौर।

UPBJ010026412014

<u>सत्र परीक्षण संख्याः 08 सन् 2014</u>

उत्तर प्रदेश सरकार ....**अभियोजन**

बनाम

1– मौ0 अली पुत्र मल्लू हुसैन निवासी ग्राम गदीपुरा थाना कुन्दरकी जिला मुरादाबाद।

..........**अभियुक्त**

अपराध संख्याः– 261/2013

धाराः–**25 आयुद्ध अधिनियनम**

थानाः– चांदपुर, जिला बिजनौर।

<u>निर्णय</u>

1– पुलिस थाना चांदपुर, जिला बिजनौर द्वारा मुकदमा अपराध सं0 257/2013 में अभियुक्तगण मौ0 अली व शौकीन एवं अन्य के विरूद्व अन्तर्गत धारा 395, 397, 412 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पत्र तथा अभियुक्त शौकीन के विरूद्व अन्तर्गत धारा 4/25 आयुद्ध अधिनियम तथा अभियुक्त मौ0 अली के विरूद्व अन्तर्गत धारा 25 आयुद्ध अधिनियम में आरोप पत्र न्यायालय अपर सिविल जज, सी0डि0/न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं0–02, बिजनौर में विचारण हेतु प्रेषित किये गये तथा अभियुक्त नफीस के विरूद्व अन्तर्गत धारा 395, 397, 412 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पत्र न्यायालय ए0सी0जे0एम0 कोर्ट सं0–03, बिजनौर में विचारण हेतु प्रेषित किया गया। विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालयों द्वारा उपरोक्त मामलों को विचारण हेतु सत्र सुपुर्द किया गया। माननीय सत्र न्यायालय द्वारा उपरोक्त पत्रावली अन्तरण द्वारा इस न्यायालय को प्राप्त होने के उपरान्त अभियुक्तगण मौ0 अली, शौकीन व नफीस का विचारण किया गया।

2– उपरोक्त चारो सत्र वाद एक ही प्रकरण से सम्बन्धित होने के कारण एवं सत्र वाद सं0 04/2014 सरकार बनाम मौ0 अली आदि में पी0डब्लू0–1 का साक्ष्य दर्ज किया गया। जिसके उपरान्त इस प्रकरण में अभियुक्तगण इकराम, छोटन उर्फ छुट्टन व रहीसुद्दीन के न्यायालय उपस्थित न आने के कारण अभियुक्तगण मौ0 अली व शौकीन की पत्रावली पृथक की गयी तथा सत्र वाद सं0 40004/2014 सरकार बनाम मौ0 अली की पत्रावली पर पी0डब्लू0–2 व पी0डब्लू–3 का साक्ष्य दर्ज किया गया तथा सत्र वाद सं0 40004/2014 सरकार बनाम मौ0 अली की पत्रावली को लीडिंग केस माना गया। अतः उपरोक्त चारों सत्र वादो का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

3– अभियोजन का संक्षेप में कथानक इस प्रकार है कि पी0डब्लू0–1 वादी मुकदमा तारा सिंह ने दिनांक 05–07–2013 को थाना चांदपुर जिला बिजनौर पर हिन्दी लिखित तहरीर इस आशय की दी कि वह प्रमाण सरिया जो कि जशोधरपुर कोटद्वार में स्थित है से कल दिनांक 04–07–2013 को ट्रक नम्बर यू0ए0 12 8518 में 12 टन सरिया लेकर ककोड के लिये समय करीब शाम 5 बजे हैल्पर ओमपाल सिंह के साथ ट्रक लेकर चला था, जब वे लोग रात्रि में चांदपुर से धनौरा की तरफ जा रहे थे तो समय करीब रात्रि 12:30 बजे एक लाल रंग की इण्डिका कार जो उनके ट्रक को ओवर टेक करके रूकवा लिया उस कार में से चार व्यकित तमन्चे लेकर उतरे तथा उनको कब्जे में कर उनसे गाडी छीन ली। दो व्यक्ति तमन्चे लेकर उनके पास रहे तथा दो व्यक्ति ट्रक में सरिया लेकर आगे की ओर चले गये। लगभग 40:45 मिनट बाद वह लाल रंग की इण्डिका कार पुनः आयी। जिसमें बैठकर दोनो बदमाश जो उनके पास बैठे थे भाग गये। यह घटना ग्राम बागडपुर के पास की है।

4– प्रार्थी/वादी की हिन्दी लिखित तहरीर सूचना के आधार पर थाना चांदपुर जिला बिजनौर पर चार अज्ञात अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट मुकदमा अपराध संख्या 257/2013 अन्तर्गत धारा 392 भा0दं0सं0 में दिनांक 05–07–2013 समय 06:20 ए.एम. पर पंजीकृत हुआ।

5– अभियोजन का यह भी केस है कि दिनांक 07–07–2013 को प्रभारी निरक्षक अफसर अब्बास जैदी मय हमराहियान थाने से बहवाले रपट नं0 16 समय 12:40 बजे तलाश वांछित अपराधीगण व मु0अ0सं0 257/13 धारा 392 भा0दं0सं0 की विवेचना में मय जीप के रवाना होकर गश्त में मामूर थे। जब पुलिसवाले चांदपुर बस स्टैण्ड के पास पहुंचे तो जरिये मुखरि खास सूचना मिली कि जो ट्रक सरिया लदा हुआ दिनांक 4/05–07–2013 की रात्रि में चोकी बबनपुरा क्षेत्र में छीना है उसे बदमाशो ने छीनने के बाद धनौरा फिना रोड पर छुपाकर खडा कर दिया था आज ट्रक व माल को बेचने के लिये ले जा रहे है अगर आप तत्परता बरते तो पकडे जा सकते है। इस सूचना पर विश्वास करके आसनाये राह से जनता के गवाहान फराहम करने का प्रयास किया लेकिन भलाई बुराई की वजह से कोई भी व्यक्ति गवाही के

लिये तैयार नहीं हुआ। इसी दौरान मुकदमे के गवाह व वादी तारा सिंह व हैल्पर ओमपाल सिंह आ गये जिन्हे मकसद बताकर हमराह लिया गया तथा प्रभारी निरीक्षक मय हमराह, मय गवाहान मय मुखबिर के धनौरा फीना रोड की ओर चल दिये। जैसे ही ग्राम मुस्तफाबाद श्यामपुर के आगे लगभग आधा किलोमीटर की दूरी तक पहुंचे तो सामने से एक ट्रक आता हुआ दिखाई दिया जिसे देखकर मुखबिर ने इशारा किया और चला गया कि एकदम जीप को ट्रक के आगे लगाकर तथा जीप से तेज से उतरकर समय करीब 20:30 बजे पकड लिया। नाम पता पूछने हुये जामा तलाशी तो ड्राईविंग सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम रहीसुद्दीन पुत्र इस्लामुद्दीन निवासी मौ0 माधवपुरम नं0. 405 थाना ब्रहमपुरी मेरठ बताया तथा दूसरे व्यक्ति ने जो कन्डक्टर सीट पर बैठा था अपना नाम मौ0 अली पुत्र मल्लू हुसैन निवासी ग्राम गदीपुरा थाना कुन्दरकी मुरादाबाद बताया, जिसकी पहनी पेन्ट की दाहिनी फेट में उरसा हुआ एक तमन्चा 303 बोर तथा पहनी पेन्ट की दाहिनी जेब से दो कारतूस जिन्दा 303 बोर पीतल बरामद हुये। तीसरे ने अपना नाम इकराम पुत्र कमरूद्दीन ग्राम लुहारी थाना बहादुरगढ हापुड बताया जिसकी पहनी पेन्ट की दाहिनी फेट में उरसा हुआ एक चाकू नाजायज बरामद हुआ। चौथे ने अपना नाम शौकीन पुत्र ईदुल निवासी ग्राम तालसपुर थाना देहली गेट जिला अलीगढ बताया जिसकी पेंट की दाहिनी फेट से उरसा हुआ एक चाकू नाजायज बरामद हुआ। पांचवे ने अपना नाम छुट्टन उर्फ छोटन पुत्र अब्दुल वहाब निवासी ग्राम आड थाना मुण्डाली जनपद मेरठ बताया जिसकी पहनी लोअर की दाहिनी फेट से उरसा हुआ एक चाकू नाजायज बरामद हुआ। बरामदा ट्रक पर नं0 यू0ए0 12 8518 अंकित है इंजन नं0 430637 तथा चैसिस नं0 604995 अंकित है तथा इसमे सरिया लदा है। बरामदा ट्रक व सरिया के बारे मे अभियुक्तगण इकराम, शौकीन, छुट्टन, रहीसुद्दीन व मौ0 अली से पूछा तो पांचो ने बताया कि साहब यह ट्रक मय सरिया के हम सभी ने दिनांक 4/5 जुलाई की रात में अपने साथी नफीस पुत्र रहीस अहमद निवासी टीला बडी मस्जिद करूला थाना मंझौला मुरादाबाद की लाल रंग की इण्डिका गाडी जिसका नं0 डी0एल0 3सी. 3833 है कि नम्बर प्लेट उतारकर ट्रक के आगे लगाकर चांदपुर धनौरा रोड से छीना था। कार से इकराम, शौकीन, छुट्टन व रहीसुद्दीन उतरे थे, मौ0 अली व नफीस कार में ही थे। ट्रक छीनने के बाद इकराम व शौकीन को ड्राईवर व हैल्पर के पास छोड दिया था तथा रहीसुद्दीन ट्रक चलाकर ले गया था साथ में छुट्टन भी था। मौ0 अली व नफीस आगे आगे कार में रास्ता देख रहे थे। रात में सडक पर आगे आगे पुलिस की गश्त व चैकिंग देखकर हम लोग ट्रक को फीना धनौरा रोड पर सडक से हटाकर जंगल में खडा कर चले गये थे। आज नफीस दोपहर में हमें यहां कार से छोड गया था। हम ट्रक व सरिया को बेचने के लिये ले जा रहे थे कि आपने पकड लिया। वादी तारा सिंह ड्राईवर तथा गवाह ओमपाल सिंह हैल्पर ने ट्रक को देखकर बताया कि यह ट्रक हमारा ही है तथा इसमें लदा सरिया भी हमारा ही है क्योंकि सरिये पर कम्पनी प्रयाण का नाम लिखा है। ट्रक में लदे सरिये को देखा तो उसमे लदे सरिये पर PRAYAN TMT प्रत्येक मीटर पर प्रत्येक सरिये पर अंकित है। वादी तथा गवाह ने अभियुक्त

इकराम, शौकीन, छुट्टन व रहीसुद्दीन को देखकर व पहचान कर बताया कि इन्हीं चारो व्यक्तियों ने उन्हें ट्रक से खींचकर तमन्चे लगाकर नीचे उतारा था। शौकीन व इकराम को देखकर कहा कि यह दोनो बदमाश हमारे पास गन्ने के खेत में बैठे थे तथा इन्होंने ही हमारी पेंट व शर्ट से हमारे हाथ पीछे बांध दिये थे तथा अपने शेष साथी से फोन से बात कर रहे थे तथा छुट्टन व रहीसुद्दीन के बारे में वादी तथा गवाह ने बताया कि यह देनो ट्रक को लेकर धनौरा की तरफ चले गये थे। पांचो अभियुक्तगण से ड्राईवर व हैल्पर के मोबाईलों के बारे में पूछा तो बताया कि वह नफीस के पास है। अतः अभियुक्तगण का यह जुर्म धारा 25 आयुद्ध अधिनियम व 4/25 आयुद्ध अधिनियम व 395, 397, 412 भा0दं0सं0 की हद को पहुंचता है। अतः अभियुक्तगण को उनके जुर्म से अवगत कराते हुये हस्ब जायता व कायदा गिरफ्तार किया गया। बरामदा तमंचे, कारतूस व चाकूओं को मौके पर ही सील सर्वे मोहर किया गया। नमूना मोहर बनाया गया तथा ट्रक व सरियो को कब्जे पुलिस में लिया गया। वादी तारा सिंह ने ट्रक में लदे सरिये को देखकर बताया कि साहब ट्रक में सरिया कम है इस पर अभियुक्तगण इकराम, शौकीन, छुट्टन, रहीसुद्दीन व मौ0 अली ने काह कि साहब हम तो सरिये के पूरा ट्रक यही पास में छिपा कर चले गये थे। किन लोगो ने इसमें से सरिया उतार लिया हमें नहीं पता। फर्द मौके पर प्रभारी निरीक्षक द्वारा जीप की हेडलाईट की रोशनी व टार्चों की रोशनी में बोलकर एस0एस0आई जसपाल सिंह से लिखवाई गयी तथा पढकर सुनाकर गवाही हमराहीयान कर्मचीगण व स्वतंत्र गवाह करवाई।

6– उक्त बरामदगी के आधार पर थाना चांदपुर पर अभियुक्त मौ0 अली के विरूद्ध मु0अ0सं0 261/2013 अन्तर्गत धारा 25 आयुद्ध अधिनियम, अभियुक्त इकराम के विरूद्ध मु0अ0सं0 262/2013 अन्तर्गत धारा 4/25 आयुद्ध अधिनियम, अभियुक्त शौकीन के विरूद्ध मु0अ0सं0 263/2013 अन्तर्गत धारा 4/25 आयुद्ध अधिनियम तथा अभियुक्त छुट्टन उर्फ छोटन के विरूद्ध मु0अ0सं0 164 अन्तर्गत धारा 4/25 आयुद्ध अधिनियम दिनांक 07–07–2013 को समय 23:45 बजे दर्ज किये गये।

7– मामले में विवेचना की गयी एवं गवाहों के बयान लिये तथा घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी बनाया एवं विवेचना की अन्य समस्त औपचारिकताये पूर्ण करते हुये अभियुक्तगण मौ0 अली, इकराम, शौकीन, छुट्टन उर्फ छोटन, रहीसुद्दीन व नफीस के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या 257/2013 अन्तर्गत धारा 395, 397, 412 भारतीय दण्ड संहिता में तथा अभियुक्त मौ0 अली के विरूद्ध मुकदमा अपराध सं0 261/2013 अन्तर्गत धारा 25 आयुद्ध अधिनियम में, अभियुक्त इकराम के विरूद्ध मु0अ0सं0 262/2013 अन्तर्गत धारा 4/25 आयुद्ध अधिनियम में, अभियुक्त शौकीन के विरूद्ध मु0अ0सं0 263/2013 अन्तर्गत धारा 4/25 आयुद्ध अधिनियम में तथा अभियुक्त छुट्टन उर्फ छोटन के विरूद्ध मु0अ0सं0 164 अन्तर्गत धारा 4/25 आयुद्ध अधिनियम में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किये गये।

8– पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण मौ0 अली व शौकीन के विरूद्ध सत्र वाद सं0 4/2014 सरकार बनाम मौ0 अली आदि में दिनांक 05–04–2014 को आरोप अन्तर्गत धारा 395, 397, 412 भारतीय दण्ड संहिता एवं सत्र वाद सं0 445/2014 सरकार बनाम नफीस में अभियुक्त नफीस के विरुद्ध दिनांक 14–09–2015 को आरोप अन्तर्गत धारा 395, 397 भा0दं0सं0 में तथा अभियुक्त मौ0 अली के विरूद्ध सत्र वाद सं0 08/2014 सरकार बनाम मौ0 अली में दिनांक 05–04–2014 को धारा 25 आयुद्ध अधिनियम में तथा सत्र वाद सं0 06/2014 सरकार बनाम शौकीन में अभियुक्त शौकीन के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 4/25 आयुद्ध अधिनियम में दिनांक 05–04–2014 को विरचित किये गये। विरचित आरोपों से अभियुक्तगण ने इन्कार किया एवं विचारण की मांग की।

9– अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में पत्रावली पर जिन कागजात को साबित किया गया वह पत्रावली पर लिखित तहरीर प्रदर्श क–1, फर्द बरामदगी माल मुकदमा प्रदर्श क–2 के रूप में तथा माल मुकदमा वस्तु प्रदर्श–1 ता 6 के रूप में उपलब्ध है तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता जिन कागजातो की औपचारिक सत्यता को स्वीकार किया गया है वह पत्रावली पर नक्शा नजरी बरामदगी स्थल माल मुकदमा प्रदर्श क–3, नक्शा नजरी घटना स्थल प्रदर्श क–4, चिक एफ0आई0आर0 बरामदगी माल मुकदमा व आयुद्ध प्रदर्श क–5, फर्द बरामदगी घटना में प्रयुक्त कार प्रदर्श क–6, वापसी जी0डी0 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श क–7, नक्शा नजरी कार बरामदगी स्थल अभियुक्त नफीस प्रदर्श क–8, आरोप पत्र विरूद्ध अभियुक्त नफीस प्रदर्श क–9, आरोप पत्र विरूद्ध अभियुक्तगण मौ0 अली व शौकीन अन्तर्गत धारा 395, 397, 412 भा0दं0सं0 प्रदर्श क–10, चिक एफ0आई0आर0 मु0अ0सं0 257/2013 अन्तर्गत धारा 392 भा0दं0सं0 प्रदर्श क–11 के रूप में उपलब्ध हैं।

10– अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोप को साबित करने हेतु पी0डब्लू0–1 वादी मुकदमा तारा सिंह, पी0डब्लू0–2 ओमपाल सिंह, पी0डब्लू0–3 निरीक्षक संजय कुमार को परीक्षित कराया गया है, जिसके उपरान्त अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पत्रावली पर दाखिल कागजात की औपचारिक सत्यता को स्वीकार किये जाने तथा अन्तर्गत धारा 25 आयुद्ध अधिनियम व 4/25 आयुद्ध अधिनियम में अभियुक्तगण द्वारा अपना–अपना जुर्म इकबाल किये जाने पर अभियोजन पक्ष की ओर से अन्य साक्ष्य पेश नहीं किया गया। अतः इस प्रकार अभियोजन के साक्ष्य का अवसर समाप्त हुआ।

11– अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–1 तारा सिंह ने अपने बयान की मुख्य परीक्षा कथन किया है कि यह घटना 04–07–2013 की है, वह ट्रक ड्राईवर है, वह जिस ट्रक को चलाता था उसका नं0 यू0ए0 12 8518 था, वह उस दिन शाम के 5 बजे सरिया लगभग 120 कुन्तल लेकर के चला था उसके साथ उसका हैल्पर था। जब वे लोग रात्रि में चांदपुर से धनौरा की तरफ जा रहे थे तो बागडपुर के पार समय

साढे 12 बजे रात्रि एक लाल रंग की इण्डिका उनके ट्रक के आगे लगाकर ट्रक रूकवा लिया। उस कार में से 06 आदमी उतरे, उन्होंने उसे व हैल्पर को ट्रक के नीचे उतार लिया था। उनकी कनपटी पर तमन्चा लगा कर उन दोनों को गन्ने के खेत में ले गये। उनके कपडे फाडकर उनके हाथ पैर बांध दिये। दो बदमाश इन्डिका मे बैठकर चले गये तथा दो ट्रक को लेकर चले गये तथा दो बदमाश उनके पास रहे। लगभग डेढ घन्टे बाद इन्डिका से दोनो बदमाश वापस आये उसी इन्डिका कार में चारो बदमाश बैठकर चले गये। उसके बाद उन्होंने हाथ पैर खोले। उसके बाद उन्होंने गांव बकैना जाकर मालिक को फोन किया उसके बाद वे बबनपुरा चौकी गये। बबनपुरा चौकी पहुंच कर उन्होंने वहां सारी बाते बतायी। इसके बाद वे थाने चांदपुर गये। उसके बाद उसने तहरीर किसी व्यक्ति से लिखवाई थी उस व्यक्ति का नाम याद नहीं है। गवाह को उसकी तहरीर कागज सं0 अ–9/2 पढकर सुनायी गयी तथा दिखायी गयी जिसे देखकर गवाह ने कहा कि यह वही तहरीर है जो उसने थाना चांदपुर में दी थी। जिस पर गवाह द्वारा अपने हस्ताक्षर पहचानकर तहरीर को प्रदर्श क–1 के रूप में साबित किया गया है।

12– अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–1 तारा सिंह ने अभियुक्त नफीस के सम्बन्ध में अपने बयान की मुख्य परीक्षा कथन किया है कि वह हाजिर अदालत मुल्जिम नफीस को नहीं जानता है। दिनांक 04–07–2013 को ग्राम बागडपुर थाना चांदपुर में समय 12:30 बजे रात एक लाल रंग की इन्डिका कार उनके ट्रक के आगे उसके ड्राईवर ने लगा दी थी। उसमे से जो 6 आदमी उतरे थे, उनमें अभियुक्त नफीस नहीं था। नफीस ने उसके साथ कोई घटना कारित नहीं की है न ही ट्रक को लूटने वालो में नफीस शामिल था। साक्षी द्वारा सत्र वाद सं0 04/14 सरकार बनाम मौ0 अली की पत्रावली पर शामिल तहरीर को पूर्व में ही प्रदर्श क–1 के रूप में साबित कर तहरीर पर अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त की जा चुकी है। इस प्रकार इस गवाह ने भी अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। अतः अभियोजन पक्ष द्वारा इस गवाह को अभियुक्त नफीस के विचारण में पक्षद्रोही घोषित किया गया है तथा जिरह में भी इस गवाह द्वारा अभियुक्त द्वारा ऐसी कोई घटना कारित करने से इनकार किया है तथा अभियोजन कथानक का कोई समर्थन नहीं किया है। वस्तुतः इस गवाह के बयान से अभियोजन कथानक की पुष्टि नहीं होती है।

13– अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–2 ओमपाल सिंह को परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने अपने बयान की मुख्य परीक्षा कथन किया है कि वह घटना के समय ट्रक पर कन्डकटरी का कार्य करता था और उसके साथ ड्राईवर तारा सिंह पुत्र घसीटा सिंह उसके ही गांव का था जिनकी करीब तीन वर्ष पहले मृत्यु हो चुकी है। दिनांक 04–07–2013 को वह तारा सिंह के साथ ट्रक सं0 यू0ए0 12 8518 पर कन्डक्टर था। ट्रक से 12 टन सरिया लेकर वे कोटद्वार फैक्ट्री से ककोड के लिये शाम करीब 5 बजे निकले थे। रास्ते में समय रात्रि करीब साढे 12 बजे चांदपुर से धनौरा वाले रास्ते पर जब वे बागडपुर के पास पहुंचे तो पीछे से एक गाडी में आकर उन्हें ओवरटेक किया

और उस गाडी में से चार लोग एकदम से उतरकर मय असलाह के उन्हें घेर लिया। चारो के मुंह से ढांटे बंधे हुये थे और उन चारो लोगो ने उसे व तारा सिंह को नीचे उतारकर पास के गन्ने के खेत में बांधकर डाल दिया और उनके ट्रक को मय माल के धनौरा की तरफ लेकर भाग गये। उसने उनके साथ लूट करने वालो को नहीं पहचाना था। वह नहीं जानता कि उनके साथ किसने लूट की थी। इस प्रकार इस गवाह ने भी अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। अतः अभियोजन पक्ष द्वारा इस गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया है तथा जिरह में भी इस गवाह द्वारा अभियुक्तगण द्वारा ऐसी कोई घटना कारित करने से इनकार किया है बयान अन्तर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0 में किये गये कथनो से भी इन्कार किया गया है तथा अभियोजन कथानक का कोई समर्थन नहीं किया है। वस्तुतः इस गवाह के बयान से अभियोजन कथानक की पुष्टि नहीं होती है।

14– अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–3 निरीक्षक संजय कुमार को परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने अपने बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 07–07–2013 को एस0आई0 के पद पर थाना चांदपुर में तैनात था। उस दिन समय करीब 12:40 बजे थाने से रपट संख्या 16 में तलाश वांछित अभियुक्तगण व मुकदमा अपराध सं0 257/13 धारा 392 भा0दं0सं0 की विवेचना में मामूर होकर मय जीप से निकले और जब वे चांदपुर बस स्टैण्ड के पास पहुंचे तो वहां पर उन्हें मुखबिर खास से सूचना मिली कि जो ट्रक सरिया से लदा हुआ दिनांक 04/05–07–2013 की रात्रि में बबनुपरा क्षेत्र में चोरों द्वारा छीना गया है उसे बदमाशो द्वारा धनौरा फीना रोड पर छिपा कर खडा कर दिया और उसे आज मय माल के बेचने जा रहे हैं। इस सूचना पर विश्वास कर उन्होंने रास्ते पर जनता के गवाह बनाने का प्रयास किया लेकिन भलाई बुराई के कारण कोई तैयार नहीं हुआ। इसी दौरान उक्त मुकदमे के वादी तारा सिंह व ओमपाल सिंह आ गये, जिन्हें उन्होंने मकसद बताकर अपने साथ ले लिया और एस0एच0ओ0 अफसर अब्बास जैदी के साथ उपरोक्त सभी पुलिसगण व गवाह व मुखबिर के साथ धनौरा फीना रोड पर चल दिये। जैसे ही वे लोग ग्राम मुस्तफाबाद श्यामपुर से आगे आधा किलोमीटर की दूरी पर पहुचे तो सामने से एक ट्रक आता हुआ दिखाई दिया, जिसे देखकर मुखबिर ने बताया किया ये वही ट्रक है जो बदमाशों द्वारा छीना गया था और मुखबिर वहां से चला गया। फिर उन्होंने अपनी जीप को आते हुये ट्रक के सामने लगाकर रोका गया जीप से उतर कर ट्रक को घेर लिया और ट्रक में बैठे पांच बदमाशों को समय करीब 20:30 बजे पकड लिया। ड्राईविंग सीट पर बैठे व्यक्ति से उसका नाम व जामा तलाशी ली गयी तो उसने अपना नाम रईसुद्दीन पुत्र इस्लामुद्दीन निवासी फर्द के मुताबिक बताया, दूसरे ने अपना नाम जो कन्डैक्टर सीट पर बैठा था मौ0 अली पुत्र मल्लू हुसैन बताया और पहनी पेन्ट की दाहिनी फैट में लगा हुआ एक तमन्चा 303 बोर हुलिया फर्द मुताबि है तथा मौ0 अली के पहनी पेन्ट की दाहिनी जेब से दो जिन्दा कारतूस 303 बोर पीलत बरामद हुये। तीसरे अभियुक्त ने अपना नाम इकराम

बताया जिसकी जामा तलाशी लेने पर पहनी पेन्ट की दाहिनी फेट से एक चाकू नाजायज जिसका हुलिया फर्द मुताबिक है, बरामद हुआ। चौथे ने अपना नाम शोकीन बताया जिसकी जामा तलाशी पर पहनी पेन्ट की दाहिनी फेट में लगा एक नाजायज चाकू हुलिया फर्द मुताबिक बरामद हुआ तथा पांचवे अभियुक्त ने अपना नाम छुट्टन उर्फ छोटन बताया जिसकी जामा तलाशी से पहने लोवर की दाहिनी तरफ फेट में लगा चाकू नाजायज बरामद हुआ, हुलिया फर्द मुताबिक। तीनो चाकू चालू हालत में थे तथा पांचों अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद ट्रक नम्बर यू0ए0 12 8518 अंकित था तथा इंजन नम्बर 430637 अंकित था, जिसमें सरिया लदा हुआ था। बरामद ट्रक व सरिया के बारे में पूछने पर पांचो अभियुक्तो ने बताया कि यह ट्रक मय सरिया के उन सभी ने 04/05–07–2013 की रात्रि में अपने साथी नफीस पुत्र रईस अहमद निवासी मुरादाबाद की लाल रंग की इन्डिका कार जिसका नम्बर डी0एल0 3सी0 3833 था की नम्बर प्लेट उतार कर ट्रक के आगे लगाकर चांदपुर धनौरा रोड से छीना था। उक्त कार से अभियुक्त इकराम, शौकीन, छुट्टन व रईसुद्दीन उतरे थे मौ0 अली और नफीस कार में ही थे। ट्रक छीनने के बाद इकराम व शौकीन को ड्राईवर व हैल्पर के पास छोड दिया था तथा रईसुद्दीन ट्रक चला कर ले गया था। छुट्टन भी साथ गया था और मौ0 अली व नफीस कार को ट्रक के आगे–आगे लेकर जाते हुए रास्ता दिखा रहे थे। रात में आगे सडक पर पुलिस व चैकिंग को देखकर उन्होंने ट्रक को फीना धनौरा रोड पर सडक से हटाकर जंगल में खडा कर चले गये थे। आज दोपहर में नफीस उन्हें कार से छोड गया था, जहां उन्होंने ट्रक को छुपाया था। आज वे ट्रक को बेचने जा रहे थे कि आपने उन्हें लिया। उनके साथ मौजूद वादी तारा सिंह व हैल्पर ओमपाल सिंह ने ट्रक को देखकर बताया कि यह उनका ही ट्रक है जिसमें सरिया भरा हुआ है। ट्रक में लदे सरिया पर प्रियांक टी0एम0टी0 लिखा है ये वही माल है जो उनके ट्रक में मौजूद था। दोनो गवाहों ने अभियुक्त छुट्टन, इकराम, शौकीन व रईसुद्दीन को देखकर पहचाना और बताया कि इन्हीं चारो व्यक्तियों ने कार से उतरकर तमन्चे लगाकर उनसे ट्रक छीना था तथा शौकीन व इकराम को देखकर कहा कि यह दोनो बदमाश उनके साथ गन्ने के खेत पर बैठे थे और इन्होंने ही उनकी पहनी पेन्ट व शर्ट से उनके हाथ पीछे बांध दिये थे और फोन पर अपने साथियों से बात कर रहे थे और छुट्टन व रईसुद्दीन को देखकर दोनो गवाहों ने कहा कि ये दोनो उनके ट्रकमें बैठकर कार के पीछे–पीछे धनौरा चले गये थे। पांचों व्यक्तियों से ड्राईवर व हैल्पर के मोबाईलों के बारे मे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि दोनो मोबाईल नफीस अपने साथ ले गया है। अभियुक्तगण को उनके जुर्म धारा 25 आयुद्ध अधिनियम व 4/25 आयुद्ध अधिनियम व 395, 397, 412 भा0दं0सं0 से अवगत कराते हुये गिरफ्तार किया गया तथा मौके पर बरामद तमन्चे व कारतूस को एक साथ सील किया गया तथा चाकुओं को अलग–अलग सील सर्वे मुहर कर नमूना मुहर बनायी गयी। ट्रक पर लदे सरिये को कब्जे में लिया गया। वादी मुकदमा तारा सिंह ने ट्रक में लदे सरिये को दोबारा देखा तो बताया कि ट्रक में सरिया कम है। इस पर अभियुक्तगण इकराम व शैकीन, छुट्टन, रईसुद्दीन, मौ0 अली ने कहा कि उन्होंने

ट्रक को यहीं पास में छिपाकर चले गये थे, किन लोगो ने इस ट्रक से सरिया उतारा उन्हें नहीं पता। फिर मौके पर प्रभारी निरीक्षक अफसर अब्बास जैदी के द्वारा जीप की हेड लाईट की रोशनी व टार्चों की रोशनी में मौके पर एस0एस0आई0 जसपाल सिंह को बोल बोलकर उक्त घटना की फर्द तैयार करायी गयी थी। फर्द देखकर व पढकर, सुनकर सभी पुलिस वालो ने व गवाह तारा सिंह व ओमपाल सिंह तथा पांचों अभियुक्तगण ने हस्ताक्षर व निशानी अंगूठा फर्द पर लगवाया था तथा फर्द की एक नकल मौके पर सभी मुल्जिमान की सहमति से मौ0 अली को दी थी। सत्र वाद सं0 8/14 सरकार बनाम मौ0 अली धारा 25 आयुद्ध अधिनियम थाना चांदपुर पर उक्त मूल फर्द कागज सं0 अ-7/6 ता 7/8 पर है। उसने एस0एस0आई0 जसपाल सिंह को लिखते पढते देखा है तथा उक्त फर्द उसके ही सामने एस0एच0ओ0 साहब द्वारा बोल बोलकर जसपाल सिंह से लिखायी थी और उसने भी पढकर अपने हस्ताक्षर किये थे। उसके हस्ताक्षर फर्द पर मौजूद हैं। फर्द को गवाह द्वारा प्रदर्श क-2 के रूप में साबित किया गया है। आगे कथन किया है कि मौके से थाने पर आने के बाद एस0एच0ओ0 अफसर अब्बास जैदी ने बरामद नाजायज तमन्चे व चाकू के बाबत मुकदमा अपराध सं0 26/13 बनाम मौ0 अली धारा 25 आयुद्ध अधिनियम, मु0अ0सं0 262/13 बनाम इकराम धारा 4/25 आयुद्ध अधिनियम, मु0अ0सं0 263/13 बनाम शौकीन धारा 4/25 आयुद्ध अधिनियम तथा मु0अ0सं0 264/13 बनाम छुट्टन धारा 4/25 आयुद्ध अधिनियम थाने पर कायम कराये थे। आज न्यायालय के समक्ष उक्त मुकदमे से सम्बन्धित माल लाया गया जिसमें एक सील बन्द पुलिन्दा जिस पर मु0अ0सं0 261/13 बनाम मौ0 अली धारा 25 आयुद्ध अधिनियम अंकित है, न्यायालय के समक्ष सील पुलिन्दा खोला गया, जिसमें से एक तमन्चा 303 बोर व दो कारतूस 303 बोर निकले जो चालू हालत में है तथा दो जिन्दा कारतूस 303 बोर के लिकले, पुलिन्दे कपडे पर वस्तु प्रदर्श-1 तमन्चे पर वस्तु प्रदर्श-2 तथा दोनो जिन्दा कारतसूों पर वस्तु प्रदर्श-3 व 4 डाले गये। गवाह द्वारा कथन किया गया कि उक्त तमन्चा व दोनो जिन्दा कारतूस अभियुक्त मौ0 अली से उसके सामने बरामद हुये थे। यह वही जिन्दा कारतूस व तमन्चा है जो उसके सामने खोला गया। न्यायालय के समक्ष एक अन्य सील पुलिन्दा जिस पर मु0अ0सं0 263/13 धारा 4/25 आयुद्ध अधिनियनम तथा अभियुक्त शौकीन का निशानी अंगूठा अंकित है, खोला गया जिसमें से एक अदद चाकू निकला। गवाह द्वारा कथन किया गया कि यह वही चाकू है जो अभियुक्त शौकीन से उसके सामने बरामद हआ था। जो आज भी चालू हालत में है। कपडे पर वस्तु प्रदर्श-5 व चाकू पर वस्तु प्रदर्श-6 डाला गया।

15- अभियोजन की ओर से साक्ष्य पूर्ण होने पर अभियुक्तगण मौ0 अली, शौकीन व नफीस के बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किये गये, जिसमें अभियुक्तगण ने घटना को गलत बताया तथा रंजिशन मुकदमा चलाया जाना व स्वयं को निर्दोष बताया गया। अभियुक्त मौ0 अली द्वारा कथन किया गया कि उसके कब्जे से एक तमन्चा व दो कारतूस 303 बोर बरामद हुये थे उसके द्वारा

स्वेच्छा से अपना जुर्म अन्तर्गत धारा 25 आयुद्ध अधिनियम बिना डर दबाव के स्वीकार किया गया तथा अभियुक्त शौकीन द्वारा कथन किया गया कि उसके कब्जे से एक चाकू बरामद हुआ था उसके द्वारा स्वेच्छा से अपना जुर्म अन्तर्गत धारा 4/25 आयुद्ध अधिनियम बिना डर दबाव के स्वीकार किया गया। अभियुक्तगण को सफाई साक्ष्य का अवसर प्रदान किया गया। अभियुक्तगण द्वारा सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने से इन्कार किया गया।

16– मैंने विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

17– अभियोजन पक्ष की ओर से यह तर्क दिया गया है कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोप युक्तियुक्त संदेह परे साबित होते हैं अतः अभियुक्तगण को लगाये गये आरोपों में दोष सिद्ध किया जाये। इसके विपरीत बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित घटना के साक्षीगण के साक्ष्यों में अत्यधिक विरोधाभास है। घटना के साक्षी हितबद्ध साक्षी हैं। अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोप साबित नहीं होते हैं। अतः अभियुक्तगण को दोष मुक्त किया जाये।

18– प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन को युक्ति युक्त संदेह से परे यह सिद्ध करना है कि क्या दिनांक 04/05–07–2013 की रात्रि समय 12:30 बजे स्थान ग्राम बागडपुर अन्तर्गत थाना चांदपुर, जिला बिजनौर की सीमा में अभियुक्तगण मौ0 अली, शौकीन, इकराम, नफीस, छुट्टन उर्फ छोटन व रहीसुद्दीन द्वारा ट्रक रजि0 सं0 यू0ए0 12 8518, जिसमें सरिया भरा था, को ड्राईवर/वादी मुकदमा तारा सिंह व हैल्पर ओमपाल सिंह से तमंचें के बल पर लूटकर डकैती कारित की गयी तथा उक्त डकैती के दौरान चालक तारा सिंह व हैल्पर ओमपाल को उपहति कारित की गयी तथा दिनांक 07–07–2013 को समय 20:30 बजे स्थित ग्राम मुस्तफाबाद श्यामपुर अन्तर्गत धारा चांदपुर में अभियुक्तगण मौ0 अली, शौकीन, इकराम, छुट्टन उर्फ छोटन व रहीसुद्दीन को पुलिस द्वारा मय चोरी के ट्रक मय सरिया एवं अवैध असलाह के गिरफ्तार किया गया।

19– अब यह देखना है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है।

20– अभियोजन पक्ष द्वारा अपने कथानक को सिद्ध करने के लिये कुल 03 अभियोजन साक्षीगण को परीक्षित कराया गया जिनमें पी0डब्लू0–1 तारा सिंह वादी मुकदमा तथा लूटे गये ट्रक का चालक है व पी0डब्लू0–2 ओमपाल सिंह जो कि लूटे गये ट्रक का हैल्पर है, दोनो चक्षुसाक्षीगण होने के साथ साथ सम्पूर्ण घटना में प्रमुख साक्षीगण हैं। उचित होगा कि पी0डब्लू0–1 व पी0डब्लू0–2 के साक्ष्यों का परीक्षण किया जाये। सर्वप्रथम उचित होगा कि पी0डब्लू0–1 व पी0डब्लू0–2 द्वारा अभियुक्तगण

व माल मुकदमा की पहचान के सम्बन्ध में आये तथ्यों का परीक्षण किया जाये तथा उनके सम्बन्ध में आये अन्य साक्षियों के कथनों का भी परीक्षण किया जाये।

21– इस सम्बन्ध में पी0डब्लू0–1 तारा सिंह के द्वारा कथन किया गया कि यह घटना 04–07–2013 की है, वह ट्रक ड्राईवर है, वह जिस ट्रक को चलाता था उसका नं0 यू0ए0 12 8518 था, वह उस दिन शाम के 5 बजे सरिया लगभग 120 कुन्तल लेकर के चला था उसके साथ उसका हैल्पर था। जब वे लोग रात्रि में चांदपुर से धनौरा की तरफ जा रहे थे तो बागडपुर के पार समय साढे 12 बजे रात्रि एक लाल रंग की इण्डिका ने उनके ट्रक के आगे लगाकर ट्रक रूकवा लिया। उस कार में से 06 आदमी उतरे, उन्होंने उसे व हैल्पर को ट्रक के नीचे उतार लिया था। उनकी कनपटी पर तमन्चा लगा कर उन दोनों को गन्ने के खेत में ले गये। उनके कपडे फाडकर उनके हाथ पैर बांध दिये। दो बदमाश इन्डिका मे बैठकर चले गये तथा दो ट्रक को लेकर चले गये तथा दो बदमाश उनके पास रहे। लगभग डेढ घन्टे बाद इन्डिका से दोनो बदमाश वापस आये उसी इन्डिका कार में चारो बदमाश बैठकर चले गये। उसके बाद उन्होंने हाथ पैर खोले। उसके बाद उन्होंने गांव बकैना जाकर मालिक को फोन किया उसके बाद वे बबनपुरा चौकी गये। बबनपुरा चौकी पहुंच कर उन्होंने वहां सारी बाते बतायी। इसके बाद वे थाने चांदपुर गये। उसके बाद उसने तहरीर किसी व्यक्ति से लिखवाई थी उस व्यक्ति का नाम याद नहीं है। गवाह को उसकी तहरीर कागज सं0 अ–9/2 पढकर सुनायी गयी तथा दिखायी गयी जिसे देखकर गवाह ने कहा कि यह वही तहरीर है जो उसने थाना चांदपुर में दी थी। जिस पर गवाह द्वारा अपने हस्ताक्षर पहचानकर तहरीर को प्रदर्श क–1 के रूप में साबित किया गया है।

22– इसी साक्षी पी0डब्लू0–1 द्वारा प्रतिपरीक्षा में घटना का समर्थन किया गया तथा अभियुक्त शौकीन की ओर से प्रतिपरीक्षा किये जाने पर कथन किया गया है कि गाडी की लाईट जल रही थी, इण्डिका दिख रही थी तथा जिन बदमाशों ने उन्हें बांधा था वह उसने थाने पर पहचान लिये थे तथा यह भी कथन किया कि वह केवल दो ही बदमाशों को पहचान पाया था बाकी 04 बदमाशों को आज भी पहचान सकता है सामने आने पर पहचान लेगा। आगे कथन किया कि सरिया पकडे जाने पर उसे थाने में खबर मिली थी, थाने पर उसके कोरे कागजों पर दस्तखत नहीं कराये थे आगे कथन किया है कि उसने केवल रपट की तहरीर पर दस्तखत किये थे उसके अतिरिक्त दस्तखत नहीं किये। यह भी उल्लेखनीय है कि इस साक्षी द्वारा अभियुक्त मौ0 अली की ओर से प्रतिपरीक्षा किये जाने पर कथन किया कि जब मुल्जिमान पकडे गये थे तब पता चला था तथा मुल्जिमानों की उनसे जेल में शिनाख्त नहीं करायी। यहां यह उल्लेखनीय है कि इस साक्षी द्वारा मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा में अभियुक्तगण शौकीन एवं मौ0 अली की पहचान न्यायालय के समक्ष भी स्थापित नहीं करायी गयी। इस साक्षी द्वारा केवल घटना होने का कथन किया है परन्तु अभियुक्तगण शौकीन एवं मौ0 अली के द्वारा घटना घटित की गयी हो इस सम्बन्ध में

अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण शौकीन एवं मौ0 अली की पहचान इस साक्षी से स्थापित नहीं करायी गयी।

23– उल्लेखनीय है कि अभियुक्त नफीस के सम्बन्ध में मुख्य परीक्षा में कथन किया कि वह हाजिर अदालत मुल्जिम नफीस को नहीं जानता है। दिनांक 04–07–2013 को ग्राम बागडपुर थाना चांदपुर में समय 12:30 बजे रात एक लाल रंग की इन्डिका कार उनके ट्रक के आगे उसके ड्राईवर ने लगा दी थी। उसमे से जो 6 आदमी उतरे थे, उनमें अभियुक्त नफीस नहीं था। नफीस ने उसके साथ कोई घटना कारित नहीं की है न ही ट्रक को लूटने वालो में नफीस शामिल था। उल्लेखनीय है कि प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी द्वारा कथन किया गया कि उसने इस घटना की रिपोर्ट ट्रक के मालिक अवनीश अग्रवाल के कहने पर लिखाई थी तथा उनके बोलने के आधार पर ही तहरीर लिखी गयी थी जिस पर बाद में उसने हस्ताक्षर कर दिये थे। आगे कथन किया कि घटना के बाद वह कभी थाने नहीं गया न ही उसके द्वारा किसी मुल्जिम की कोई शिनाख्त करायी गयी।

24– इस प्रकार पी0डब्लू0–1 वादी तारा सिंह के उक्त समस्त कथनों के परीक्षण से यह निष्कर्ष निकलता है कि इस साक्षी द्वारा घटना घटित होने का तो युक्ति युक्त संदेह से परे समर्थन किया गया है परन्तु अभियुक्तगण मौ0 अली, शौकीन व नफीस द्वारा घटना घटित की गयी हो इस सम्बन्ध मे अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण की पहचान न्यायालय के समक्ष स्थापित नहीं करायी गयी तथा पी0डब्लू0–1 द्वारा स्वयं कथन किया गया कि अन्वेषण के दौरान भी अभियुक्तगण की शिनाख्त नहीं करायी गयी। यह भी उल्लेखनीय है कि अभियोजन के द्वारा पी0डब्लू0–1 को पुनः परीक्षा हेतु न्यायालय के जरिये समन कराया गया तो अभियोजन से यह आख्या प्राप्त हुई की पी0डब्लू0–1 तारा सिंह की मृत्यु हो चुकी है।

25– अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये पी0डब्लू0–2 ओमपाल सिंह द्वारा मुख्य परीक्षा कथन किया गया है कि वह घटना के समय ट्रक पर कन्डकटरी का कार्य करता था और उसके साथ ड्राईवर तारा सिंह पुत्र घसीटा सिंह उसके ही गांव का था जिनकी करीब तीन वर्ष पहले मृत्यु हो चुकी है। दिनांक 04–07–2013 को वह तारा सिंह के साथ ट्रक सं0 यू0ए0 12 8518 पर कन्डक्टर था। ट्रक से 12 टन सरिया लेकर वे कोटद्वार फैक्ट्री से ककोड के लिये शाम करीब 5 बजे निकले थे। रास्ते में समय रात्रि करीब साढे 12 बजे चांदपुर से धनौरा वाले रास्ते पर जब वे बागडपुर के पास पहुंचे तो पीछे से एक गाडी में आकर उन्हें ओवरटेक किया और उस गाडी में से चार लोग एकदम से उतरकर मय असलाह के उन्हें घेर लिया। चारो के मुंह से ढांटे बंधे हुये थे और उन चारो लोगो ने उसे व तारा सिंह को नीचे उतारकर पास के गन्ने के खेत में बांधकर डाल दिया और उनके ट्रक को मय माल के धनौरा की तरफ लेकर भाग गये। उसने उनके साथ लूट करने वालो को नहीं पहचाना था। वह नहीं जानता कि उनके साथ किसने लूट की थी। इस प्रकार इस साक्षी द्वारा मुख्य परीक्षा में घटना घटित होने का समर्थन किया गया परन्तु

अभियुक्तगण के सम्बन्ध में कथन किया गया है कि उनके साथ लूट करने वालो को वह नहीं पहचान सकता। अभियोजन द्वारा इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कराया गया। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी द्वारा कथन किया गया कि हाजिर अदालत अभियुक्तगण नफीस, शौकीन व मौ0 अली वो लोग नहीं है क्योंकि जिन लोगो ने उनसे लूट की थी वे लम्बी चौडी कद काठी वाले थे। इस प्रकार इस साक्षी द्वारा अभियुक्तगण मौ0 अली, शौकीन व नफीस द्वारा घटना कारित न किये जाने का कथन किया गया।

26– इस प्रकार उपरोक्त पहचान सम्बन्धी साक्ष्यों के परीक्षण से स्पष्ट है कि अभियोजन अभियुक्तगण की पहचान युक्ति युक्त संदेह से परे सिद्ध करने मे असफल रहा है।

27– इसके पश्चात अभियाजन द्वारा पी0डब्लू0–3 निरीक्षक संजय कुमार को परीक्षित कराया गया। जिनके द्वारा मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि वह दिनांक 07–07–2013 को एस0आई0 के पद पर थाना चांदपुर में तैनात था। उस दिन समय करीब 12:40 बजे थाने से रपट संख्या 16 में तलाश वांछित अभियुक्तगण व मुकदमा अपराध सं0 257/13 धारा 392 भा0दं0सं0 की विवेचना में मामूर होकर मय जीप से निकले और जब वे चांदपुर बस स्टैण्ड के पास पहुंचे तो वहां पर उन्हें मुखबिर खास से सूचना मिली कि जो ट्रक सरिया से लदा हुआ दिनांक 04/05–07–2013 की रात्रि में बबनुपरा क्षेत्र में चोरों द्वारा छीना गया है उसे बदमाशो द्वारा धनौरा फीना रोड पर छिपा कर खडा कर दिया और उसे आज मय माल के बेचने जा रहे हैं। इस सूचना पर विश्वास कर उन्होंने रास्ते पर जनता के गवाह बनाने का प्रयास किया लेकिन भलाई बुराई के कारण कोई तैयार नहीं हुआ। इसी दौरान उक्त मुकदमे के वादी तारा सिंह व ओमपाल सिंह आ गये, जिन्हें उन्होंने मकसद बताकर अपने साथ ले लिया और एस0एच0ओ0 अफसर अब्बास जैदी के साथ उपरोक्त सभी पुलिसगण व गवाह व मुखबिर के साथ धनौरा फीना रोड पर चल दिये। जैसे ही वे लोग ग्राम मुस्तफाबाद श्यामपुर से आगे आधा किलोमीटर की दूरी पर पहुचे तो सामने से एक ट्रक आता हुआ दिखाई दिया, जिसे देखकर मुखबिर ने बताया किया ये वही ट्रक है जो बदमाशों द्वारा छीना गया था और मुखबिर वहां से चला गया। फिर उन्होंने अपनी जीप को आते हुये ट्रक के सामने लगाकर रोका गया जीप से उतर कर ट्रक को घेर लिया और ट्रक में बैठे पांच बदमाशों को समय करीब 20:30 बजे पकड लिया। ड्राईविंग सीट पर बैठे व्यक्ति से उसका नाम व जामा तलाशी ली गयी तो उसने अपना नाम रईसुद्दीन पुत्र इस्लामुद्दीन निवासी फर्द के मुताबिक बताया, दूसरे ने अपना नाम जो कन्डैक्टर सीट पर बैठा था मौ0 अली पुत्र मल्लू हुसैन बताया और पहनी पेन्ट की दाहिनी फैट में लगा हुआ एक तमन्चा 303 बोर हुलिया फर्द मुताबि है तथा मौ0 अली के पहनी पेन्ट की दाहिनी जेब से दो जिन्दा कारतूस 303 बोर पीलत बरामद हुये। तीसरे अभियुक्त ने अपना नाम इकराम बताया जिसकी जामा तलाशी लेने पर पहनी पेन्ट की दाहिनी फेट से एक चाकू नाजायज जिसका हुलिया फर्द मुताबिक है, बरामद हुआ। चौथे ने अपना नाम शोकीन

बताया जिसकी जामा तलाशी पर पहनी पेन्ट की दाहिनी फेट में लगा एक नाजायज चाकू हुलिया फर्द मुताबिक बरामद हुआ तथा पांचवे अभियुक्त ने अपना नाम छुट्टन उर्फ छोटन बताया जिसकी जामा तलाशी से पहने लोवर की दाहिनी तरफ फेट में लगा चाकू नाजायज बरामद हुआ, हुलिया फर्द मुताबिक। तीनो चाकू चालू हालत में थे तथा पांचों अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद ट्रक नम्बर यू0ए0 12 8518 अंकित था तथा इंजन नम्बर 430637 अंकित था, जिसमें सरिया लदा हुआ था। बरामद ट्रक व सरिया के बारे में पूछने पर पांचो अभियुक्तो ने बताया कि यह ट्रक मय सरिया के उन सभी ने 04/05-07-2013 की रात्रि में अपने साथी नफीस पुत्र रईस अहमद निवासी मुरादाबाद की लाल रंग की इन्डिका कार जिसका नम्बर डी0एल0 3सी0 3833 था की नम्बर प्लेट उतार कर ट्रक के आगे लगाकर चांदपुर धनौरा रोड से छीना था। उक्त कार से अभियुक्त इकराम, शौकीन, छुट्टन व रईसुद्दीन उतरे थे मौ0 अली और नफीस कार में ही थे। ट्रक छीनने के बाद इकराम व शौकीन को ड्राईवर व हैल्पर के पास छोड दिया थे तथा रईसुद्दीन ट्रक चला कर ले गया था। छुट्टन भी साथ गया था और मौ0 अली व नफीस कार को ट्रक के आगे-आगे लेकर जाते हुए रास्ता दिखा रहे थे। रात में आगे सडक पर पुलिस व चैकिंग को देखकर उन्होंने ट्रक को फीना धनौरा रोड पर सडक से हटाकर जंगल में खडा कर चले गये थे। आज दोपहर में नफीस उन्हें कार से छोड गया था, जहां उन्होंने ट्रक को छुपाया था। आज वे ट्रक को बेचने जा रहे थे कि आपने उन्हें लिया। उनके साथ मौजूद वादी तारा सिंह व हैल्पर ओमपाल सिंह ने ट्रक को देखकर बताया कि यह उनका ही ट्रक है जिसमें सरिया भरा हुआ है। ट्रक में लदे सरिया पर प्रियांक टी0एम0टी0 लिखा है ये वही माल है जो उनके ट्रक में मौजूद था। दोनो गवाहों ने अभियुक्त छुट्टन, इकराम, शौकीन व रईसुद्दीन को देखकर पहचाना और बताया कि इन्हीं चारो व्यक्तियों ने कार से उतरकर तमन्चे लगाकर उनसे ट्रक छीना था तथा शौकीन व इकराम को देखकर कहा कि यह दोनो बदमाश उनके साथ गन्ने के खेत पर बैठे थे और इन्होंने ही उनकी पहनी पेन्ट व शर्ट से उनके हाथ पीछे बांध दिये थे और फोन पर अपने साथियों से बात कर रहे थे और छुट्टन व रईसुद्दीन को देखकर दोनो गवाहों ने कहा कि ये दोनो उनके ट्रकमें बैठकर कार के पीछे-पीछे धनौरा चले गये थे। पांचों व्यक्तियों से ड्राईवर व हैल्पर के मोबाईलों के बारे मे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि दोनो मोबाईल नफीस अपने साथ ले गया है। अभियुक्तगण को उनके जुर्म धारा 25 आयुद्ध अधिनियम व 4/25 आयुद्ध अधिनियम व 395, 397, 412 भा0दं0सं0 से अवगत कराते हुये गिरफ्तार किया गया तथा मौके पर बरामद तमन्चे व कारतूस को एक साथ सील किया गया तथा चाकुओं को अलग-अलग सील सर्वे मुहर कर नमूना मुहर बनायी गयी। ट्रक पर लदे सरिये को कब्जे में लिया गया। वादी मुकदमा तारा सिंह ने ट्रक में लदे सरिये को दोबारा देखा तो बताया कि ट्रक में सरिया कम है। इस पर अभियुक्तगण इकराम व शैकीन, छुट्टन, रईसुद्दीन, मौ0 अली ने कहा कि उन्होंने ट्रक को यहीं पास में छिपाकर चले गये थे, किन लोगो ने इस ट्रक से सरिया उतारा उन्हें नहीं पता। फिर मौके पर प्रभारी निरीक्षक अफसर अब्बास जैदी के द्वारा जीप की

हेड लाईट की रोशनी व टार्चों की रोशनी में मौके पर एस0एस0आई0 जसपाल सिंह को बोल बोलकर उक्त घटना की फर्द तैयार करायी गयी थी। फर्द देखकर व पढकर, सुनकर सभी पुलिस वालो ने व गवाह तारा सिंह व ओमपाल सिंह तथा पांचों अभियुक्तगण ने हस्ताक्षर व निशानी अंगूठा फर्द पर लगवाया था तथा फर्द की एक नकल मौके पर सभी मुल्जिमान की सहमति से मौ0 अली को दी थी। सत्र वाद सं0 8/14 सरकार बनाम मौ0 अली धारा 25 आयुद्ध अधिनियम थाना चांदपुर पर उक्त मूल फर्द कागज सं0 अ-7/6 ता 7/8 पर है। उसने एस0एस0आई0 जसपाल सिंह को लिखते पढते देखा है तथा उक्त फर्द उसके ही सामने एस0एच0ओ0 साहब द्वारा बोल बोलक जसपाल सिंह से लिखायी थी और उसने भी पढकर अपने हस्ताक्षर किये थे। उसके हस्ताक्षर फर्द पर मौजूद हैं। फर्द को गवाह द्वारा प्रदर्श क-2 के रूप में साबित किया गया है। आगे कथन किया है कि मौके से थाने पर आने के बाद एस0एच0ओ0 अफसर अब्बास जैदी ने बरामद नाजायज तमन्चे व चाकू के बाबत मुकदमा अपराध सं0 26/13 बनाम मौ0 अली धारा 25 आयुद्ध अधिनियम, मु0अ0सं0 262/13 बनाम इकराम धारा 4/25 आयुद्ध अधिनियम, मु0अ0सं0 263/13 बनाम शौकीन धारा 4/25 आयुद्ध अधिनियम तथा मु0अ0सं0 264/13 बनाम छुट्टन धारा 4/25 आयुद्ध अधिनियम थाने पर कायम कराये थे। आज न्यायालय के समक्ष उक्त मुकदमे से सम्बन्धित माल लाया गया जिसमें एक सील बन्द पुलिन्दा जिस पर मु0अ0सं0 261/13 बनाम मौ0 अली धारा 25 आयुद्ध अधिनियम अंकित है, न्यायालय के समक्ष सील पुलिन्दा खोला गया, जिसमें से एक तमन्चा 303 बोर व दो कारतूस 303 बोर निकले जो चालू हालत में है तथा दो जिन्दा कारतूस 303 बोर के लिकले, पुलिन्दे कपडे पर वस्तु प्रदर्श-1 तमन्चे पर वस्तु प्रदर्श-2 तथा दोनो जिन्दा कारतसूों पर वस्तु प्रदर्श-3 व 4 डाले गये। गवाह द्वारा कथन किया गया कि उक्त तमन्चा व दोनो जिन्दा कारतूस अभियुक्त मौ0 अली से उसके सामने बरामद हुये थे। यह वही जिन्दा कारतूस व तमन्चा है जो उसके सामने खोला गया। न्यायालय के समक्ष एक अन्य सील पुलिन्दा जिस पर मु0अ0सं0 263/13 धारा 4/25 आयुद्ध अधिनियनम तथा अभियुक्त शौकीन का निशानी अंगूठा अंकित है, खोला गया जिसमें से एक अदद चाकू निकला। गवाह द्वारा कथन किया गया कि यह वही चाकू है जो अभियुक्त शौकीन से उसके सामने बरामद हआ था। जो आज भी चालू हालत में है।

28- इस प्रकार पी0डब्लू0-3 द्वारा फर्द प्रदर्श क-2 को सिद्ध किया गया। इस साक्षी द्वारा यह भी सिद्ध किया गया कि पांचो अभियुक्तगण मौ0 अली, शौकीन, इकराम, छुट्टन उर्फ छोटन व रहीसुद्दीन के कब्जे से ट्रक नम्बर यू0ए0 12 8518 इंजन नम्बर 430637 जिसमें सरिया लदा हुआ था बरामद हुआ। यह उल्लेखनीय ळे कि पी0डब्लू0-3 द्वारा पी0डब्लू0-1 तारा सिंह व पी0डब्लू0-2 ओमपाल सिंह को अपने साथ ले जाने तथा उनके सामने बरामदगी तथा उनके द्वारा अभियुक्तगण को पहचाने जाने का कथन किया गया है परन्तु स्वयं पी0डब्लू0-1 व पी0डब्लू0-2 द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किया गया तथा ना ही प्रदर्श क-2 फर्द बरामदगी को

सिद्ध किया गया ना ही अभियुक्तगण की पहचान स्थापित की गयी। इस साक्षी द्वारा यह भी युक्ति युक्त संदेह से परे सिद्ध किया गया कि अभियुक्त मौ0 अली की पेन्ट की दाहिनी फेट में लगा हुआ एक तमन्चा 303 बोर एवं दाहिनी जेब से दो जिन्दा कारतूस 303 बोर बरामद हुये, अभियुक्त शौकीन की पहनी पेन्ट की दाहिनी फेट में लगा एक नाजायज चाकू बरामद हुआ। यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्तगण मौ0 अली एवं शौकीन के द्वारा क्रमशः अपराध अन्तर्गत धारा 25 आयुद्ध अधिनियम एवं 4/25 आयुद्ध अधिनियम में न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के स्तर पर जुर्म इकबाल किया गया। अभियुक्त बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 में भी अभियुक्तगण मौ0 अली एवं शौकीन के द्वारा उक्त धाराओं के अन्तर्गत जुर्म इकबाल किया गया।

29– इस प्रकार उक्त समस्त परीक्षण से यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन युक्ति युक्त संदेह से परे यह सिद्ध करने में सफल रहा कि कथित घटना घटित हुई परन्तु अभियोजन युक्ति युक्त संदेह से परे यह सिद्ध करने में असफल रहा कि कथित घटना अभियुक्तगण मौ0 अली, शौकीन व नफीस के द्वारा कारित की गयी। अभियोजन युक्ति युक्त संदेह से परे यह भी सिद्ध करने में असफल रहा कि अभियुक्तगण मौ0 अली व शौकीन के द्वारा यह जानते हुये चुरायी हुई सम्पत्ति प्राप्त की गयी या अपने पास रखी गयी कि उक्त सम्पत्ति डकैती का अपराध कारित करने के पश्चात अन्तरित की गयी है या किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा प्राप्त करायी गयी जो एक डकैत के गिरोह का सदस्य था, जिससे अपराध अन्तर्गत धारा 412 भा0दं0सं0 आकर्षित नहीं होता है। लेकिन पी0डब्लू0–3 द्वारा यह सिद्ध किया गया कि कथित सम्पत्ति अभियुक्तगण मौ0 अली व शौकीन से बरामद हुई जिसमें यह उपधारणा की जा सकती है कि अभियुक्तगण मौ0 अली व शौकीन वह यह जानते हुये कि उक्त सम्पत्ति चोरी की है, अपने कब्जे में रखे हुये थे, जिससे अपराध अन्तर्गत धारा 411 भा0दं0सं0 का कारित कया जाना सिद्ध होता है।

30– अभियोजन यह युक्ति युक्त संदेह से परे यह सिद्ध करने में सफल रहा कि दिनांक 07–07–2013 को समय 20:30 बजे स्थित ग्राम मुस्तफाबाद श्यामपुर अन्तर्गत थाना चांदपुर में अभियुक्तगण मौ0 अली के कब्जे से नाजायज तमन्चा 303 बोर तथा 02 जिन्दा कारतूस 303 बोर तथा अभियुक्त शौकीन के कब्जे से नाजायज चाकू बरामद किये गये।

31– इस प्रकार अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण मौ0 अली, शौकीन के विरूद्ध लगाये गये आरोपों अन्तर्गत धारा 395, 397, 412 भा0दं0सं0 को तथा अभियुक्त नफीस के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 395, 397 भा0दं0सं0 को सन्देह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है तथा अभियुक्त मौ0 अली के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 25 आुयद्ध अधिनियम तथा अभियुक्त शौकीन के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 4/25 आयुद्ध अधिनियम को युक्ति युक्त संदेह से परे सिद्ध करने में सफल रहा है। अभियोजन अभियुक्तगण मौ0 अली एवं शौकीन के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 411 भा0दं0सं0 सिद्ध करने में सफल रहा है। अतः उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर अभियुक्तगण मौ0 अली व शौकीन को उन पर लगाये गये

आरोप अन्तर्गत धारा 395, 397, 412 भारतीय दण्ड संहिता एवं अभियुक्त नफीस को उस पर लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 395, 397 भारतीय दण्ड संहिता से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं तथा अभियुक्तगण मौ0 अली एवं शौकीन को अन्तर्गत धारा 411 भा0दं0सं0 में दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित है तथा अभियुक्त मौ0 अली को उस पर लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 25 आयुद्ध अधिनियम में तथा अभियुक्त शौकीन को उस पर लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 4/25 आयुद्ध अधिनियम में दोष सिद्ध किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

32– अभियुक्तगण मौ0 अली व शौकीन को सत्रवाद सं0 40004/2014, मु0अ0सं0 257/2013 थाना चांदपुर, जिला बिजनौर में उनके विरूद्व लगाये गये आरोपों अन्तर्गत धारा **395, 397, 412 भारतीय दण्ड संहिता** एवं अभियुक्त नफीस को सत्र वाद सं0 445/2014 मु0अ0सं0 257/2013 थाना चांदपुर, जिला बिजनौर में उसके विरूद्व लगाये गये आरोपों अन्तर्गत धारा **395, 397 भारतीय दण्ड संहिता** से **दोषमुक्त** किया जाता है तथा अभियुक्त मौ0 अली व शौकीन को धारा **411 भा0दं0सं0** में **दोषसिद्ध** किया जाता है। अभियुक्त **मौ0 अली** को सत्रवाद सं0 08/2014, मु0अ0सं0 261/2013, थाना चांदपुर, जिला बिजनौर में उसके विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा **25 आयुद्ध अधिनियम** में **दोषसिद्ध** किया जाता है तथा अभियुक्त **शौकीन** को सत्र वाद सं0 06/2014 मु0अ0सं0 263/2013 मे उसके विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा **4/25 आयुद्ध अधिनियम** में **दोषसिद्ध** किया जाता है।

33– अभियुक्तगण जमानत पर है तथा आज न्यायालय के समक्ष उपस्थित है। अभियुक्तगण के जमानतनामें व व्यक्तिगत बंध पत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को जमानत के दायित्व से उन्मोाचित किया जाता है। अभियुक्तगण मौ0 अली व शौकीन को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाये।

34– अभियुक्तगण मौ0 अली, शौकीन व नफीस को आदेशित किया जाता है कि धारा 437ए दं0प्र0सं0 के अनुपालन में बीस–बीस हजार रूपये के दो–दो प्रतिभू व समान राशि का एक–एक व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल करें, जो निर्णय की तिथि से 6 माह तक प्रभावी रहेंगे।

35– अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि यदि उक्त निर्णय के विरुद्ध कोई अपील योजित की जाती है तो अभियुक्तगण माननीय उच्च न्यायालय में उपस्थित होंगे। दोष सिद्ध अभियुक्तगण मौ0 अली व शौकीन को दण्ड के बिन्दु पर सुनवायी हेतु पत्रावली लंच बाद पेश हो।

दिनांकः 31–10–2023

(हनी गोयल)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–03,
बिजनौर
J.O. Code-U.P.-02408

<u>लंचबाद–</u>

36– दोषसिद्ध **मौ0 अली व शौकीन** न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय में उपस्थित है। दोषसिद्ध को सजा (दण्ड) के प्रश्न पर सुना गया।

37– दोषसिद्ध अभियुक्तगण **मौ0 अली व शौकीन** द्वारा कथन किया गया है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। वे बहुत ही गरीब व्यक्ति हैं तथा अपने घर के अकेले कमाने वाले हैं। मामला अत्यन्त प्राचीन वादों की श्रेणी में आता है। वे भविष्य में ऐसा अपराध नहीं करेंगे। अतः उनके द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

38– अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा कथन किया गया है कि दोषसिद्ध अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः दोषसिद्ध अभियुक्तगण को अधिकतम दण्ड से दण्डित किया जाये।

39– अतः प्रस्तुत मामले के तथ्यों एवं विशेष परिस्थितियो में, जब कि दोषसिद्ध अभियुक्तगण **मौ0 अली व शौकीन** द्वारा स्वयं की आर्थिक स्थिति कमजोर होना तथा स्वयं को अपने–अपने घर का अकेला कमाने वाला बताया गया है एवं दोषसिद्ध मौ0 अली ने स्वेच्छा से जुर्म अन्तर्गत धारा 25 आयुद्ध अधिनियम तथा दोषसिद्ध शौकीन द्वारा स्वेच्छा से जुर्म अन्तर्गत धारा 4/25 आयुद्ध अधिनियम भी स्वीकार किया है। प्रस्तुत प्रकरण अत्यन्त प्राचीन वादों की श्रेणी में आता है। अतः यह न्यायालय के मत से दोषसिद्ध अभियुक्तगण **मौ0 अली व शौकीन** को धारा 411 भा0दं0सं0 के अंतर्गत जेल में बितायी गयी अवधि (छः माह) के कारावास से तथा प्रत्येक पर 1,000/–1,000रूपये (एक–एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड से तथा दोषसिद्ध मौ0 अली को धारा 25 आयुद्ध अधिनियम के अन्तर्गत जेल में बितायी गयी अवधि (छः माह) के कारावास एवं अंकन 1,000/–रूपये (एक हजार रूपये) अर्थदण्ड से तथा दोषसिद्ध शौकीन को धारा 4/25 आयुद्ध अधिनियम के अन्तर्गत जेल में बितायी गयी अवधि (छः माह) के कारावास एवं अंकन 1,000/–रूपये (एक हजार रूपये) अर्थदण्ड दण्डित किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

<u>आदेश</u>

40– दोषसिद्ध **मौ0 अली व शौकीन** को **सत्र वाद सं0 40004/2014** सरकार बनाम मौ0 अली, **मु0अ0सं0 257/2013,** थाना चांदपुर, जिला बिजनौर में **धारा 411 भा0दं0सं0** के अंतर्गत जेल में बितायी गयी अवधि (छः माह) के कारावास से तथा प्रत्येक पर 1,000/–1,000रूपये (एक–एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अर्थदण्ड अदा न करने पर 15–15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा तथा **दोष सिद्ध शौकीन** को **सत्र वाद सं0 06/2014** सरकार बनाम शौकीन, **मु0अ0सं0 263/2013,** थाना चांदपुर, जिला बिजनौर, में **धारा 4/25**

आयुद्ध अधिनियम के अंतर्गत जेल में बितायी गयी अवधि (छः माह) के कारावास एवं अंकन 1,000/—रूपये (एक हजार रूपये) अर्थदण्ड दण्डित किया जाता है, अर्थदण्ड अदा न करने पर **15 दिन** का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा तथा **दोषसिद्ध मौ0 अली** को **सत्र वाद सं0 08/2014** सरकार बनाम मौ0 अली, **मु0अ0सं0 261/2013,** थाना चांदपुर, जिला बिजनौर, में **धारा 25 आयुद्ध अधिनियम** के अंतर्गत जेल में बितायी गयी अवधि (छः माह) के कारावास एवं अंकन 1,000/—रूपये (एक हजार रूपये) अर्थदण्ड दण्डित किया जाता है, अर्थदण्ड अदा न करने पर **15 दिन** का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

41— इस निर्णय की एक प्रति दोषसिद्ध अभियुक्त को निःशुल्क प्रदान की जाये तथा एक—एक प्रति सत्र वाद सं0 445/2014 सरकार बनाम नफीस अहमद, सत्र वाद सं0 06/2014 सरकार बनाम शौकीन तथा सत्र वाद सं0 08/2014 सरकार बनाम मौ0 अली थाना चांदपुर की पत्रावलियों पर रखी जायें तथा चारों सत्र वादों की पत्रावलियां नियमानुसार अभिलेखागार दाखिल की जायें।

दिनांकः 31—10—2023

(हनी गोयल)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0—03,
बिजनौर।
J.O. Code-U.P.-02408

42— यह निर्णय आज मेरे द्वारा दिनांकित एवं हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनांकः 31—10—2023

(हनी गोयल)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0—03,
बिजनौर।
J.O. Code-U.P.-02408